कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमरोहा

पत्र सं0: न–5/सीएफओ/2017(पैट्रोल पम्प)/390 दिनॉक: सितम्बर 26, 2017

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी
जनपद अमरोहा।

विषयः–खसरा संख्याः 41 ग्राम नारंगपुर, तहसील व जनपद अमरोहा पर प्रस्तावित एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा एक रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु स्थलीय निरीक्षण आख्या।

संदर्भः 1. अपर जिलाधिकारी अमरोहा के पत्रांकः 861/आबकारी सहायक/2016 दिनांकः 13.05.2016
2. आवदेक के पत्र संख्याः शून्य दिनांक 20.09.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र, जो कि आवेदक द्वारा दिनांक 20.09.2017 को इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, के अनुसार खसरा संख्याः 41 ग्राम नारंगपुर, तहसील व जनपद अमरोहा पर प्रस्तावित एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा एक रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में प्रस्तावित स्थल के प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अमरोहा, जनपद अमरोहा द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अमरोहा की निरीक्षण आख्या दिनॉक 22.09.2017 के अनुसार एवं उपलब्ध कराये गये मानचित्र/अभिलेखों का अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीशीलन किया गया, विवरण निम्नवत हैः–

प्रश्नगत स्थल प्रस्तुत किये गये मानचित्रों के अनुरुप पाया गया है। प्रश्नगत स्थल दिल्ली–मुरादाबाद मार्ग एन0एच0–24 पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ–जा सकते हैं। प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है।

अतः खसरा संख्याः 41 ग्राम नारंगपुर, तहसील व जनपद अमरोहा पर प्रस्तावित एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा एक रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ प्रेषित की जाती हैः–

1. प्रश्नगत स्थल पर पैट्रोल पम्प का संचालन पैट्रोलिम एक्ट–1934 के अनुसार एवं समय–समय पर यथा संसोधित विधियों एवं तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरुप किया जायेगा।
2. मानचित्र मे दिये गये क्रम संख्या 01 से 12 तक बिन्दुओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रश्नगत स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की हाई/लो टेशन विद्युत लाईन नहीं गुजारी जायेगी।
4. प्रश्नगत स्थल पर पैट्रोल पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
5. प्रश्नगत स्थल पर धूम्रपान निषेध बोर्ड, अग्निशमन केन्द्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक तथा आपतकालीन सेवाओं के टेलीफोन नं0 की सूची लगाया/दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।
6. पैट्रोल पम्प पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिंगारी आग उत्पन्न करते हैं, का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किये जायेगें।
7. प्रश्नगत स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस0–2148 तथा सम्बंधित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार करायी जानी अनिवार्य होगी।
8. प्रश्नगत स्थल पर स्थापित समस्त अग्निशमन व्यवस्थओं कों सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा अग्निश्मन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तत्काल इसकी सूचना स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा त्रुटि का अविलम्ब निराकरण किया जाये।
9. प्रत्येक 06 माह में एक बार सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाये।
10. रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) के निमार्ण उपरान्त संचालन से पूर्व मानकों के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना कराकर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

C.F.O.
A.M.H.

(Sandeep Ku. Tripathi)
For Essar Oil Limited
28.12.17
Authorized Signatory

क्रमशः 2....

11.प्रश्नगत स्थल पर स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण व्यवस्थाओं के अकार्यशील दशा में पाये का पूर्ण उत्तरदायित्व व्यवस्थापक का होगा तथा निर्गत निरीक्षण आख्या को स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रश्नगत स्थल पर पैट्रोलिम रुल्स–2002 के अनुसार निम्नाकिंत अग्निशमन व्यवस्था कराना अनिवार्य होगा, जो निम्नवत हैः–

1. ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर– 08 अद्द।
2. सी0ओ0टू0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर– 02 अद्द।
3. फोम ट्राली क्षमता 45 लीटर– 01 अद्द।
4. फायर बकेट्स एवं वाटर बकेट्स 05–05 अद्द।
5. नो स्मोकिंग बोर्ड।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन खसरा संख्याः 41 ग्राम नारंगपुर, तहसील व जनपद अमरोहा पर प्रस्तावित एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा एक रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है।

(विजय कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद अमरोहा

(विजय कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद–अमरोहा

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अग्निशमन केन्द्र अमरोहा, जनपद अमरोहा को सूचनार्थ।
2. स्वामी/प्रबंधक, एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट(पैट्रोल पम्प) ग्राम नारंगपुर, तहसील व जनपद अमरोहा को सूचनार्थ।

(Sanjeev Kr. Tripathi)
For Essar Oil Limited
22.12.17
Authorized Signatory